कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, संत कबीर नगर।

सं0 496 /आब0सहा0/आब0दु0 व्यवस्थापन/2021–22/सं0क0न0/दिनांक अगस्त, 05 2021

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 682–756/टास्क फोर्स–2/ई–लाटरी/2021–22/दिनांक 04.08.2021 के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 हेतु नवीनीकरण, ई–लाटरी एवं ई–टेण्डर के पश्चात् अवशेष देशी शराब की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर तृतीय चरण की ई–लाटरी के माध्यम से किया जाना है।

वर्ष 2021–22 में अवशेष फुटकर दुकानों हेतु आवेदन/रजिस्ट्रेशन ई–लाटरी आदि से संबंधित सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexciseelottery.gov.in तथा जिले की वेबसाइट www.sknagar.nic.in पर भी उपलब्ध रहेगी।

जनपद की देशी मदिरा की 02 अवशेष फुटकर दुकानों के वर्ष 2021–21 हेतु व्यवस्थापन के तृतीय चरण की समय सारिणी

1	ई–लाटरी हेतु आवेदन करने की अवधि	दिनांक 06.08.2021 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 11.08.2021 को सांय 05:00 बजे तक
2	ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	दिनांक 11.08.2021 को सांय 05:00 बजे से 13.08.2021 को सायं 05:00 बजे तक
3	ई–लाटरी की तिथि समय एवं स्थल	दिनांक 17.08.2021 को प्रातः 11:30 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार, संत कबीर नगर

जनपद–संत कबीर नगर की अवशेष देशी मदिरा की 02 फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी द्वारा किया जाना है। दुकानों का नाम, शाप क्रमांक प्रास्थिति, एम0जी0क्यू0, बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि, प्रतिभूति धनराशि तथा सालवेंसी की धनराशि का विवरण निम्नवत है:–

1– देशी मदिरा

क्र0 सं0	दुकान का नाम एवं शाप क्रमांक	प्रास्थिति	एम0जी0 क्यू0	बे0ला0 फीस	लाइसेंस फीस	प्रतिभूति धनराशि	धरोहर धनराशि	आवश्यक हैसियत
1	बाघनगर	ग्रामीण	16950	601725	3830700	383070	60173	738738
2	जमुअरिया	ग्रामीण	17394	617487	3931044	393105	61749	758089

उपरोक्त के संबंध में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, संत कबीर नगर तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से संपर्क किया जा सकता है।

जिला आबकारी अधिकारी,
संत कबीर नगर।

जिलाधिकारी,
संत कबीर नगर।

सं0 497–502 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. संयुक्त आबकारी आयुक्त, गोरखपुर जोन, गोरखपुर।
3. उप आबकारी आयुक्त, बस्ती प्रभार, बस्ती।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, संत कबीर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापन को जिले के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
5. आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–1, 2 व 3 को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
6. स्थानीय सम्पादक "अमर उजाला" व "राष्ट्रीय सहारा" को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि न्यूनतम सरकारी दर पर कम से कम स्थान में विज्ञप्ति प्रकाशित कर बिल/बीजेक भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

जिला आबकारी अधिकारी,
संत कबीर नगर।